उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पकड़ा गया नकली सिरप, विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश, उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली के शक्तिनगर मोहल्ले में लगभग दो साल पहले पुलिस ने निशानदेही पर खाँसी का नकली सिरप पकड़ा था। इसकी पुष्टि औषधि विभाग ने भी की थी, जिसके बाद निर्माता और वादी ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए वाद दायर किया था कि, उसका सिरप असली है।

उत्तर प्रदेश, उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली के शक्तिनगर मोहल्ले में लगभग दो साल पहले पुलिस ने निशानदेही पर खाँसी का नकली सिरप पकड़ा था। इसकी पुष्टि औषधि विभाग ने भी की थी, जिसके बाद निर्माता और वादी ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए वाद दायर किया था कि, उसका सिरप असली है। उसे जेल गलत भेजा गया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दो ड्रग इंस्पेक्टर दो दरोगा और कुछ सिपाहियों के ख़िलाफ़ मुकदमे का आर्डर किया था।

पिछले माह मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपित पुलिस कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की अब उन्हें राहत मिल गयी और राज्य सरकार और निर्माता को नोटिस जारी किया गया है। शक्तिनगर मोहल्ले में खाँसी की दवा बनाने वाले अजय बाजपेयी के यहाँ 8 अगस्त 2021 को गंगाघाट पुलिस ने छापेमारी कर खाँसी के सिरप बरामद किए थे। माल थाने लाने के बाद औषधि विभाग को अवगत कराया गया। मौके पर पहुँचे औषधि इंस्पेक्टर ने उसे नकली बताते हुए लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा। इधर आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया था।

छूटने के बाद वादी अजय बाजपेयी हाईकोर्ट चले गये। हाईकोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए सीजर पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिये। इसके बाद बीते 13 दिसम्बर को कोर्ट के निर्देश पर दो औषधी निरीक्षक अजय सन्तोषी, नवीन कुमार व गंगाघाट कोतवाली में तैनात रहे। दरोगा रोहित पाण्डेय, अबु कासिम, कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार व कृष्ण प्रताप के खिलाफ एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद 5 पुलिस कर्मियों ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाख़िल किया।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कर्मियों के पक्षकार अधिवक्ता ने पूरे मामले से कोर्ट को अवगत कराया तो सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं रूम में सुनवाई के दौरान यह कहते हुए राहत दे दी कि पुलिस का पक्ष ठीक से नहीं सुना गया। इसके

बाद कार्यवाही पर स्टे दे दिया। राज्य सरकार और वादी को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।

Source: https://www.ncrsamacharlive.in/newsdetails/latest_Post/fake-syrup-caught-in-uttar-pradesh-unnao-case-filed-against-seller